

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2005

संख्या का० आ० 47/ह० अ० 6/2003/धा० 7/2005.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 50/ह० अ० 6/2003/धा० 7/2003, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003 तथा इस बारे जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि घोषित माल और उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ख तथा ग मे विनिर्दिष्ट माल से भिन्न सभी माल के विक्रय पर, वैट व्यवहारी द्वारा भुगतान योग्य कर प्रथम जुलाई, 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा।

एल० एस० एम० सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

---

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th June, 2005

**No. S.O. 47/H.A.6/2003/S. 7/2005.**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. S.O. 50/H.A. 6/2003/S. 7/2003, dated the 1st April, 2003 and all other notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby directs that tax payable by a VAT dealer on sale of all goods, other than declared goods and those specified in Scheduled A, B and C appended to the said Act, shall be calculated at the rate of 12.5 percent with effect from 1st July, 2005.

L. S. M. SALINS,  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.